

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/प्रयो.सहा./ (एफ-31)/2019/

दिनांक :

आदेश

निम्नांकित कार्मिकों की नियुक्ति निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/प्रयो.सहा./सीधीभर्ती/2015/871 दिनांक 11.12.2015 एवं 515 दिनांक 27.04.2016 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के पद पर प्रदान की गई थी। जिन्होंने प्रयोगशाला सहायक के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 08 में दर्शायी गयी तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15.1)एफ.डी.(रूल्स)/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में प्रयोगशाला सहायक पद की पै मैट्रिक्स एल 5 में न्यूनतम वेतन रूपये 20800 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे :-

क्र. स.	पदस्थापन सूची दिनांक एवं क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परीक्षा पूर्ण करने की तिथि	2 वर्ष पश्चात परीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्र. 871 दिनांक 11.12.2015 के क्र.स GEN-92	श्री खेमकरण शर्मा	स मुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शेरागढ (जोधपुर)	07.04.1983	16.12.2015	15.12.2017	16.12.2017
2.	क्र 871 दिनांक 11.12.2015 के क्र.स. GEN-277	श्री तुलसीराम सुमन	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बगनी (झालावाड)	02.09.1982	30.05.2016	29.05.2018	30.05.2018
3	क्र 515 दि 27.04.2016 (Waiting list TSP -1)	श्री राकेश कोठारी	स मुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटा डूंगरा (ब सवाडा)	01.02.1973	02.05.2016	01.05.2018	02.05.2018

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक : 18/06/19

क्रमांक :- ई-33/प्रयो.सहा./ (एफ-31)/2019/163

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
2. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
3. संबंधित चिकित्सा अधिकार प्रभारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर